श्री दुर्गानन्द झा, अपर समाहर्ता, मधुबनी द्वारा दिनांक–12.10.2018 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर, के न्यायालय का किये गये निरीक्षण की टिप्पणीः–

श्री नंद किशोर चौधरी, बि0प्र0से0, राजस्व एवं भूमि सुधार विभागीय अधिसूचना के अनुपालन में भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर, के रूप में दिनांक–04.08.2017 को प्रभार ग्रहण किये। इनके पूर्व श्री उमेश कुमार भारती, बि0प्र0से0, भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर, के रूप में प्रभार में थे।

श्री अरबिन्द कुमार, लिपिक भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी, के उपस्थापक के प्रभार में हैं।

1– दाखिल–खारीज अपील वादों की पंजीः

वाद पंजी संधारित है।

1.4.18 तक लंबित	2018–19 में दायर	कुल वाद	गत माह तक निष्पादित	प्रतिवेदित माह में निष्पादित	कुल निष्पादित	90 दिनों से अधिक लंबित	कुल लंबित
00	04	04	01	00	01	03	03

बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–7 के अंतर्गत अंचल अधिकारी द्वारा निष्पादित दाखिल वादों का अपीलीय प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय है। वाद पंजी एवं कोर्ट पंजी संधारित की गई है। बताया गया कि मात्र 03 दाखिल खारिज अपील वाद लंबित है जो सुनवाई की स्थिति में है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, को निदेशित किया गया कि विधिवत् सुनवाई कर निर्धारित समय–सीमा के अंदर वादों का निष्पादन किया जाय। आदेश पारित होने पर आदेश की प्रति जिला के पोर्टल पर भी अपलोड कराया जाय।

2– भू0हदबंदी धारा–16 (3) वाद पंजीः–:

वाद पंजी संधारित है।

1.4.18 तक लंबित	2018–19 में दायर	कुल वाद	गत माह तक निष्पादित	प्रतिवेदित माह में निष्पादित	कुल निष्पादित	90 दिनों से अधिक लंबित	कुल लंबित
00	05	05	01	01	02	00	03

मात्र 03 (तीन) वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, के न्यायालय में लंबित है जो प्रारम्भिक स्थिति में है। शीघ्र सुनवाई कर निष्पादन करने का निदेश दिया गया है।

यह भी निदेशित किया गया कि आदेश पारित होने पर इसे जिला के पोर्टल पर अपलोड कराया जाय।

3– लगान निर्धारण अभिलेख पंजीः

वाद पंजी संधारित है।

1.4.18 तक लंबित	2018–19 में दायर	कुल वाद	गत माह तक निष्पादित	प्रतिवेदित माह में निष्पादित	कुल निष्पादित	90 दिनों से अधिक लंबित	कुल लंबित
00	03	03	01	00	01	00	02

वाद पंजी संधारित है। बताया गया कि दो वाद लंबित जिसमें पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया है। निर्धारित तिथि पर सुनवाई कर निष्पादन की कार्रवाई की जायेगी।

4— बटाईदारी वाद अभिलेख पंजीः

वाद पंजी संधारित है। बताया गया कि एक भी वाद बी0टी0एक्ट की धारा— 48 (ई) के तहत इस न्यायालय में दायर नहीं हुआ है।

5— भू—विवाद निराकरण अधिनियम अभिलेख वाद पंजीः

वाद पंजी संधारित की गयी है।

1.4.18 तक लंबित	2018—19 में दायर	कुल वाद	गत माह तक निष्पादित	प्रतिवेदित माह में निष्पादित	कुल निष्पादित	90 दिनों से अधिक लंबित	कुल लंबित
00	43	43	03	00	03	00	40

भू—विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के अंतर्गत वादों का निष्पादन 90 दिनों के अंदर किया जाना है। 01.04.2018 से पूर्व लंबित वादों की संख्या—00 इस वित्तीय वर्ष में दायर वादों की संख्या—43 है जिसके विरूद्ध 03 निष्पादित । 90 दिनों से अधिक लंबित वादों की संख्या—00 है। लंबित वादों की संख्या— 40 है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता को निदेशित किया गया कि त्वरित गति से वादों की सुनवाई कर निष्पादित किया जाय तथा पारित आदेश को जिला के पोर्टल पर अपलोड भी कराया जाय।

6— अतिक्रमण अपील वाद पंजीः

वाद पंजी संधारित है। इस वित्तीय वर्ष में एक भी वाद दायर नहीं हुआ है तथा पूर्व का लंबित शून्य है।

7— नीलाम पत्र वाद अभिलेख पंजीः

वाद पंजी संधारित है।

1.4.18 तक लंबित	2018—19 में दायर	कुल वाद	गत माह तक निष्पादित	प्रतिवेदित माह में निष्पादित	कुल निष्पादित	कुल लंबित	सन्निहित राशि
331	65	396	65	02	67	329	29967767

भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी के जिम्मे लंबित नीलाम पत्र वादों का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र0	अधियाची विभाग	दायर वाद	निष्पादन	लंबित	सन्निहित राशि (लाख में)
01	भारतीय स्टेट बैंक, झंझारपुर/अंधराठाढ़ी एवं मधेपुर	339	67	329	29967767.00
कुल		**339**	**67**	**329**	29967767.00

प्रस्तुत विवरणी से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस अधियाची विभाग यानि भारतीय स्टेट बैंक, झंझारपुर, अंधराठाढ़ी एवं मधेपुर के द्वारा कितनी संख्या में नीलाम पत्र दायर की गई जिसके विरूद्ध अधियाची विभागवार कितनी संख्या में वाद निष्पादित हुआ तथा अधियाची विभागवार कितनी संख्या में वाद लंबित है जिसमें सन्निहित राशि की संख्या कितनी है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर द्वारा जिला नीलाम पत्र शाखा, मधुबनी को प्रेषित प्रपत्र—3 में अंकित आंकड़ा भी विरोधाभास है। 01.04.2018 को लंबित वाद 331, गत माह तक दायर वादों की संख्या—396 एवं कुल वादों की संख्या— 396 का मासिक प्रतिवेदन है। यदि पूर्व लंबितवादों की संख्या—331 एवं गत माह तक दायर वादों की संख्या— 396 है तो कुल वादों की संख्या—727 होना चाहिए। स्पष्ट

है कि उपस्थापक सही ढ़ंग से वाद अभिलेख एवं पंजी का संधारण नहीं किये हुये हैं। इसीलिए वादों की संख्या में भिन्नता है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर भी बिना समीक्षा के प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किये।

निदेशित किया गया कि नीलाम पत्र अधियाची विभागवार प्रतिवेदन को सही करें। नीलाम पत्र वाद अभिलेख पंजियों का सही संधारण करें। नियमित रूप से नीलाम पत्र वादों की सुनवाई कर निष्पादन की दिशा में त्वरित कार्रवाई की जाय। संबंधित अधियाची बैंकों से पंजी–**ix** का **x** का मिलान समय–समय पर कराया जाय।

8– साहुकारी वाद अपील अभिलेख पंजी:

वाद पंजी संधारित है। एक भी अपील वाद दायर नहीं है।

9– भूमि बन्दोवस्ती अभिलेख पंजी:

वाद पंजी संधारित है। बताया गया कि एक भी भूमि बंदोवस्ती का अभिलेख अनुमण्डल राजस्व शाखा में लंबित नहीं है।

10– सीमांकन वाद अपील:

बताया गया कि सीमांकन का एक भी अपील वाद लंबित नहीं है।

11– भूदान:–

1.4.18 तक लंबित	2018–18 में दायर	कुल वाद	गत माह तक निष्पादित	प्रतिवेदित माह में निष्पादित	कुल निष्पादित	90 दिनों से अधिक लंबित	कुल लंबित
00	00	00	00	00	00	00	00

बताया गया कि एक भी मामला भूदान यज्ञ से संबंधित सम्पूष्टि हेतु लंबित नहीं है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी, के न्यायालय कार्य निरीक्षण के कम में पाया गया कि अभिलेखों का संधारण उपस्थापक द्वारा सही ढ़ंग से नहीं किया गया है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता को निदेशित किया गया कि स्वयं अभिरूचि लेकर वाद अभिलेख पंजी एवं अभिलखों को दुरूस्त कराते हुये नियमित रूप से न्यायालय का संचालन कर वादों का निष्पादन निर्धारित समय–सीमा के अंदर सुनिश्चित किया जाय। साथ ही पारित आदेश को उसी दिन जिला के पोर्टल पर अपलोड भी कराया जाय। नीलाम पत्र के लंबित वादों का नियमित सुनवाई कर निष्पादन त्वरित गति से करें। प्रतिवेदन को सही कर तुरत जिला नीलाम पत्र शाखा को प्रतिवेदित किया जाय।

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

ज्ञाप संख्या 2769 **/जि०रा० मधुबनी दिनांक** 15/10/2018

प्रतिलिपिः–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, झंझारपुर, को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधुबनी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यकय कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी,जिला नीलाम पत्र शाखा, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–समाहर्त्ता, मधुबनी की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

15/10/18

अपर समाहर्त्ता,
मधुबनी।